राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्रीं सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 05/2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2023/16
दायर दिनांक– 21.02.2023
निर्णय दिनांक– 05.10.2023

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. जयराम वल्द ईश्वरदास सिन्धी सा0 जयपुर गैर खातेदार

.....अप्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जयराम वल्द ईश्वरदास सिन्धी सा0 जयपुर गैर खातेदार को भू संशोधन के समय गैर खातेदार दर्ज किया गया है, इस संबंध में तहसील कार्यालय में आवंटन आदेश/आवंटन सलाहकार समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण उपलब्ध नहीं है। वाद वर्णित भूमि ग्राम सुरसुरा के ख0न0 564 रकबा 2. 2975 हैक्ट0 के संबंध में भू–अभिलेख निरीक्षक हरमाड़ा व पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका स्थिति अनुसार वर्तमान में दर्ज गैर खातेदार जयराम वल्द ईश्वरदास सा0 जयपुर गैर खातेदार नाम के किसी भी व्यक्ति का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है, ना ही कभी रहा है। वर्तमान में इस भूमि का उपयोग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरसुरा द्वारा भवन एवं खेल मैदान राजकीय उपयोग में लिया जा रहा है। उक्त प्रकरण के संबंध में उपखण्ड/तहसील कार्यालय में गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने बाबत् किसी प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पा रहा है व उक्त गैर खातेदारी प्रविष्टी भू–संशोधन के समय राजस्व रिकार्ड के अंकन की त्रुटि होने से रिकार्ड दुरूस्ती हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में अप्रार्थी के नाम को व गैर खातेदारी शब्द के विलुप्तिकरण की कार्यवाही करवाये जाने व उक्त भूमि को सिवायचक करवाये जाने का निवेदन किया।

05.10.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 13:17:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी हेतु समाचार पत्र से प्रकाशन हेतु प्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ को पत्र लिखा गया। अप्रार्थी की तामिली हेतु समाचार पत्र " हमारा समाचार" व " जयपुर टाइम्स " दिनांक 04.08.2023 में प्रकाशन करवाया गया । सूचना प्रकाशन होने के एक माह से अधिक की अवधि होने पर भी अप्रार्थी अनुपस्थित रहने पर उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में बहस सुनी गयी। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी मौके पर काबिज–काश्त नहीं है, ना ही कभी रहा है। वर्तमान में उक्त भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,सुरसुरा द्वारा भवन एवं खेल मैदान बनाकर राजकीय उपयोग में ली जा रही है। अप्रार्थी को उक्त भूमि आवंटन के संबंध में कोई दस्तावेजात् उपलब्ध नहीं है, इसलिए गैर खातेदारी प्रविष्टी भू–संशोधन के समय राजस्व रिकार्ड के अंकन की त्रुटि होने से रिकार्ड दुरूस्ती करवाने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस पर मनन किया। तदनुसार अप्रार्थी के पास ग्राम सुरसुरा के ख0न0 564 के आवंटन संबंधी कोई दस्तावेज/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ना ही अप्रार्थी मौके पर काविज काश्त है। उक्त त्रुटि गैर खातेदारी प्रविष्टी भू–संशोधन के समय राजस्व रिकार्ड के अंकन के समय होने से हुई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरसुरा के ख0न0 564 में अप्रार्थी का दर्ज गैर खातेदारी नाम विलोपीकरण किया जाकर उक्त भूमि को राजहित में सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

05.10.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 13:17:37 IST
Reason: SelfAttested